

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-164 / 2013संस्थित दिनांक-03.04.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

कल्लू उर्फ रणवीर पुत्र सोबरनसिंह तोमर उम्र 34 साल

निवासी ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 02.08.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 504, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.02.13 को शाम करीब 7 बजे या उसके लगभग ग्राम एण्डोरी स्थित हैण्डपंप के पास फरियादी बंटी को गालियां देकर साशय अपमानित किया और तद्द्वारा इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि फरियादी को प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या अन्य कोई अपराध कारित करेगा तथा फरियादी की मारपीट कर उसका अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 27.02.13 को शाम करीब 7 बजे फरियादी बंटी ने अभियुक्त से फसल काटने की बात कही तो अभियुक्त ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर जमीन पर पटक दिया जिससे उसके दाए हाथ में चोट आई। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक 11/13 लेख की गयी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट में आहत को अस्थिभंग पाए जाने के आधार पर अप0क्र0-22/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.02.13 को शाम करीब 7 बजे या उसके लगभग ग्राम एण्डोरी स्थित हैण्डपंप के पास फरियादी बंटी को गालियां देकर साशय अपमानित किया और तद्वारा इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि फरियादी को प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या अन्य कोई अपराध कारित करेगा ?
2. क्या घटना, दिनांक एवं सुसंगत समय पर आहत बंटी को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
3. क्या अभियुक्त द्वारा उपहति कारित करने आशय से फरियादी बंटी की मारपीट कर उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में बंटी सिकरवार अ0सा0 1, मिथलेश अ0सा0 2, ध्रुवसिंह सिकरवार अ0सा0 3, डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 3ए, नायकसिंह अ0सा0 4, भूपसिंह अ0सा0 05, लालसिंह अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में निर्भयसिंह ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक1 का सकारण निष्कर्ष //

6. फरियादी बंटी अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 27 फरवरी 2013 शाम 7 बजे की एण्डोरी गांव के हैण्डपंप के पास की है। अभियुक्त कल्लू के रिश्तेदार हाथ मुंह धो रहे थे, वह हैण्डपंप चला रहा था। उसने कल्लू से कहा कि सरसों कटा ले क्यों खड़ी है तो अभियुक्त उसे गाली देने लगा और उठाकर पटक दिया जिससे उसका दायां हाथ टूट गया। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में घटना के समय उसकी पत्नी मिथलेश तथा लडका ध्रुवसिंह के आ जाने का कथन करता है और बाद में एण्डोरी रिपोर्ट करने जाने की बात बताता है। अदम चैक प्र0पी0 1 पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भागपर होने का कथन करता है। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में न तो यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे कौन सी गाली दी गयी न हीं ऐसा कोई कथन किया गया कि उसने गाली सुनकर अपमानित महसूस किया हो और तद्वारा गाली सुनकर प्रकोपित इस प्रकार से हुआ हो कि वह लोकशांति भंग करता अथवा अन्य कोई अपराध कारित करता। मिथलेश अ0सा0 2 यह बताती हैं कि उनका लडका ध्रुव दौडकर आया और बताया कि अभियुक्त उसके पिता को मार रहे हैं। जब वह कल्ले डाक्टर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि अभियुक्त उसके पति के उपर चढ़ा था। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में किसी प्रकार की गाली सुनने का कथन नहीं करती। ध्रुवसिंह अ0सा0 3 भी मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा किसी गाली दिए जाने का कथन नहीं करता है।

7. प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में ललई बाबा तथा लालजी के उपस्थित होने का भी तथ्य लेख है। अभियोजन की ओर से ललई उर्फ भूपसिंह अ0सा0 5 तथा लालजी अ0सा0 6 के रूप में परीक्षित कराया गया। उक्त दोनों ही साक्षी उनके समक्ष कोई घटना होने से इंकार करते हैं। दोनों ही साक्षी फरियादी व अभियुक्त दोनों को जानते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके समक्ष अभियुक्त द्वारा कोई गाली गलौंच किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। अनुसंधानकर्ता नायकसिंह अ0सा0 4 की साक्ष्य आरोप के संबंध में अतात्विक है। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी बंटी सिकरवार को गालियां देकर साशय अपमानित किया और तद्वारा इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि फरियादी को प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या अन्य कोई अपराध कारित करेगा। अतः संहिता की धारा 504 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

8. फरियादी बंटी सिकरवार अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि जब उसने अभियुक्त से कहा कि सरसों को कटा लो क्यों खड़ी है तो अभियुक्त उसे गाली देने लगा और उसे उठाकर पटक दिया जिससे उसका दाया हाथ टूट गया। साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के बाद उसकी पत्नी व लडका घर ले गए इसके बाद थाना एण्डोरी में रिपोर्ट करने गया था। रिपोर्ट के बाद गोहद अस्पताल इलाज हेतु भेजे जाने और उसके बाद बिरला अस्पताल ग्वालियर रैफर कर दिए जाने तथा वहां महीने भर इलाज चलने का कथन किया गया है। मिथलेश अ0सा0 2 यह बताती है कि उसके पति के दाएं व बाएं हाथ तथा पैर में चोट आई थी, गोहद इलाज हुआ इसके बाद ग्वालियर में इलाज हुआ था। साक्षी ध्रुव अ0सा0 3 भी यह कथन करते हैं कि उनके पिता को बाएं हाथ में चोट आई थी, सुबह उन्हें गोहद ले गए थे। साक्षी बंटी के द्वारा अभिकथित घटना के संबंध में की गयी रिपोर्ट प्रपी0 1 के आधार पर उसके कथन की संपुष्टि होती है जिसमें उसे जमीन पर पटक देने तथा मेडीकल परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद भेजे जाने का उल्लेख किया गया है।

9. प्रकरण में चिकित्सक डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 3 ए के रूप में परीक्षित कराए गए जो दिनांक 28.02.13 को सीएचसी गोहद में मेडीकल आफीसर के रूप में पदस्थ होने का कथन करते हुए बताते हैं कि उक्त दिनांक को थाना एण्डोरी से आरक्षक 184 बी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने फरियादी बंटी का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोटें पाई थी—

चोट क0 1—सूजन जो कि दाहिनी कोहनी पर थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी।

चोट क0 2—कटूजन (नीलगू) बाएं फोर आर्म पर 3 गुणा 2 सेमी0 था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

आहत को पाई गयी चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही है जो परीक्षण अवधि से 6 से 24 घण्टे के भीतर की प्रतीत हो रही थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 3 के रूप में बताते हुए उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। चिकित्सक यह भी कथन करते हैं कि उसी दिनांक को आहत की दाहिनी कोहनी का एक्सरे परीक्षण करने पर ह्यूमरस बोन के लेटरल काण्डायल में कैपीटूलम में फ्रैक्चर (अस्थिभंग) पाया गया था एवं उसकी कलाई के जोइंट में चिप फ्रैक्चर पाया गया था। चिकित्सक एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 4 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

10. प्रकरण में चिकित्सक डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 3 ए के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 3 व एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 4 को ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों के रूप में प्रमाणित किया है। चिकित्सक द्वारा उक्त प्रतिवेदन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत तथा धारा 114 ड के अधीन पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार दर्शित नहीं करते हैं। प्र0पी0 3 में बताई गयी चोट की अवधि उनके द्वारा किए गए परीक्षण की अवधि से 24 घण्टे के भीतर की एवं फरियादी के कथन की पुष्टिकारक हैं। अभियुक्त की ओर से भी फरियादी बंटी को उक्त चोटों के संबंध में उसके अभिसाक्ष्य में खण्डन नहीं कराया है बल्कि उसे आई चोट के संबंध में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में सुझाव दिया है कि हैण्डपंप चलाने के बाद निकलने को होने पर उसका पैर गोल घेरे पर फिसल गया जिसके कारण उसके हाथ में चोट आई थी, लगभग इसी प्रकार का सुझाव ध्रुव अ०सा० 3 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में भी दिया गया। चिकित्सक को आहत को आई चोट के संबंध में तेज गति से मोटरसाईकिल पर जाते समय खरंजा अर्थात् पत्थर की रोड पर गिर जाने से आने के संबंध में सुझाव दिया गया जिससे उक्त साक्षियों ने इंकार किया है। बचाव साक्षी निर्भयसिंह ब०सा० 1 के द्वारा भी फरियादी को गिरने से चोट आने का कथन किया है। ऐसी दशा में अभियुक्त की ओर से यह तथ्य अखण्डनीय रहा है कि घटना दिनांक 27.02.13 को शाम करीब 7 बजे फरियादी बंटी सिकरवार को शरीर पर चोटें मौजूद थी जिनमें उसकी दाहिने हाथ की कोहनी में अस्थिभंग भी मौजूद था। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से स्वेच्छा पटक कर घोर उपहति पहुंचाई ?-

॥ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष ॥

11. फरियादी बंटी अ०सा० 1 यह कथन करता है कि जब उसने अभियुक्त कल्लू से कहा कि सरसों को कटा लो क्यों खड़ी है तो अभियुक्त ने उसे उठाकर पटक दिया जिससे उसका दायां हाथ टूट गया था। इस प्रकार से साक्षी द्वारा उसे कारित अस्थिभंग अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा कारित किए जाने के संबंध में कथन किया गया है। साक्षी द्वारा उसके पत्नी व पुत्र के घटनास्थल पर आ जाने

और घर ले जाने के संबंध में कथन किया है। मिथलेश अ0सा0 2, जो फरियादी बंटी की पत्नी हैं, अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती हैं कि उसके बच्चे ध्रुव ने दौड़कर उसके पास आकर बताया कि कल्लू पापा को मार रहे हैं तब वह घटनास्थल कल्ले डाक्टर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा उसके पति के ऊपर अभियुक्त चढ़ा था और उसका पति बेहोश पड़ा था। साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि जब पति को लेने गयी तो हैण्डपंप की नाली में पड़े थे, कण्डिका 4 में स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी उसे पति तथा अन्य लोगों ने बताया था उसी के आधार पर कथन करना बताती है। इस प्रकार से इस साक्षी मिथलेश अ0सा0 2 का कथन अभियुक्त द्वारा फरियादी बंटी की मारपीट के संबंध में अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी दशा में उसकी साक्ष्य का कोई साक्षिक मूल्य नहीं रह जाता है।

12. ध्रुव अ0सा0 3, जो फरियादी बंटी का पुत्र है, यह कथन करता है कि वह पुराने थाने के पास खेल रहा था तब उसने अपने पिता की आवाज सुनी तो हैण्डपंप के पास आया तो देखा कि अभियुक्त ने उसके पिता को उठाकर हैण्डपंप के पास पटक दिया था। वह एकदम से घबरा गया फिर अपनी मम्मी मिथलेश को बुला लाया। जब अपनी मम्मी को बुलाकर लाया तो अभियुक्त उसके पिता को मार रहा था और पिता बेहोश पड़े थे। अपने पिता को आधे घण्टे बाद होश आने का कथन करता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में अभियुक्त की ओर से दिए गए इस सुझाव से इंकार करता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसके पिता डले हुए थे बल्कि कथन करता है कि जब वह पहुंचा था तब उसके पिता को उठाकर पटक रहा था। साक्षी बताता है कि उसके पिता को एक बार पटका था जो हाथ के बल पटका था। यह भी स्पष्ट करता है कि दाहिने हाथ की तरफ से पटका था। यहां तक कि साक्षी यह भी बताता है कि उसके पिता को चार फुट की उंचाई से पटका था। इस प्रकार से साक्षी ध्रुव अ0सा0 3 द्वारा अपने पिता के कथनों की भलीभांति पुष्टि की है।

13. फरियादी बंटी अ0सा0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। नायकसिंह अ0सा0 4 जो कि अनुसंधानकर्ता है वे घटना के संबंध में नक्शामौका प्र0पी0 2 फरियादी की निशांदाही पर बनाए जाने का कथन करते हुए उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। मिथलेश अ0सा0 2 ने भी नक्शामौका प्र0पी0 2 में दर्शाए स्थान की संपुष्टि कल्ले डाक्टर के दरवाजे के पास घटनास्थल के रूप में बताया है, ध्रुव अ0सा0 3 ने हैण्डपंप के पास घटना स्थल के संबंध में फरियादी व अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। इस प्रकार से अभिकथित घटनास्थल के संबंध में कोई संदेह शेष नहीं रह जाता है।

14. अभियुक्त की ओर से बचाव में साक्षी निर्भयसिंह ब0सा0 1 को परीक्षित कराया है जो यह कथन करते हैं कि 3-4 साल पहले शाम के 3-4 बजे वे कल्यान डाक्टर के घर ग्राम एण्डोरी में

अपने बच्चे को दिखाने गए थे उसी समय कल्यान डाक्टर के घर के दरवाजे पर बैठे थे उस समय बंटी सिकरवार शराब पीकर आया और बंटाईदार कल्लू से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। कल्लू ने अपने घर के दरवाजे से कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम अपने घर जाओ। उसी समय फरियादी बंटी हैण्डपंप पर मुंह धोने व पानी पीने लगा, बंटी के नशे में होने से हैण्डपंप पर फिसलकर गिर गया था। साक्षी बताता है कि उसे दूसरे दिन पता चला कि फरियादी ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर दी है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से बताने में अस्मर्थ रहा है कि घटना किस दिन, महीने व सन की है। साक्षी अभिकथित रूप से हैण्डपंप से 25 फीट की दूरी पर बैठे होकर घटना देखने की बात बताता है और इतनी दूरी से उन दोनों की बातचीत सुनने का भी कथन करता है। उक्त साक्षी को अभियुक्त द्वारा स्वयं लाकर प्रस्तुत किया गया किन्तु फरियादी बंटी को उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि फरियादी शराब पीकर 3-4 बजे अभियुक्त के घर के पास हैण्डपंप पर आया, न ही यह सुझाव दिया गया कि उसने अभियुक्त से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, न ही ऐसा कोई सुझाव दिया गया कि बचाव साक्षी निर्भयसिंह के सामने फरियादी हैण्डपंप से पानी पीते समय नियंत्रण खोकर गिर गया हो। ऐसा कोई भी सुझाव बंटी अ0सा0 1, मिथलेश अ0सा0 2, ध्रुव अ0सा0 3 यहां तक कि चिकित्सक जो कि आहत के मत्तता की स्थिति के संबंध में कथन कर सकता था उसे भी नहीं दिया गया। निर्भयसिंह ब0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा जो कथन किया गया वह न्यायालय में पहली बार बता रहे हैं उसके पहले कभी किसी को नहीं बताया। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा विश्वसनीय नहीं पाई जाती है।

15. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी ललई अ0सा0 5 व लालजी अ0सा0 6 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। आहत व उसकी पत्नी व पुत्र हितबद्ध साक्षी हैं जो असत्य रूप से कथन करते हैं उनके संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथा स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षीगण की अभिसाक्ष्य से समर्थित न होने पर आहत के कथन पर विश्वास न किया जाए। स्वतंत्र साक्षियों के संबंध में यह तथ्य अभिलेख पर है कि वे उभयपक्षों को जानते हैं और उनके ही ग्राम व मौहल्ले के निवासी हैं ऐसी दशा में उनके द्वारा समर्थन न किए जाने से अभियोजन के मामले पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय को यह देखना है कि क्या फरियादी बंटी अ0सा0 1 का कथन विश्वसनीय है। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उसके विरुद्ध रंजिश झूठा मुकदमा बनवाया है। यह सुझाव आहत बंटी एवं उसकी पत्नी व पुत्र को ही प्रतिपरीक्षण में दिया गया। उक्त साक्षियों ने सुझाव से इंकार किया। प्रकरण में आहत बंटी अ0सा0 1 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में यह कथन किया है कि घटना का पहले उसका अभियुक्त से अच्छा मन प्रेम (अच्छे संबंध) थे, घटना के बाद से अच्छे संबंध नहीं हैं। अभिकथित रंजिश के संबंध में कोई भी ऐसा तथ्य

अभिलेख पर नहीं हैं जिसके आधार पर न्यायालय को दर्शित हो कि कोई रंजिश विद्यमान थी बल्कि यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फरियादी का बंटाईदार था ऐसी दशा में उनके मध्य रंजिश का बचाव काल्पनिक एवं निराधार प्रतीत होता है।

16. प्रकरण में आहत बंटी के प्रतिपरीक्षण में जो तथ्य रेखांकित किए गए वे गंभीर विरोधाभास पूर्ण नहीं हैं। जहां तक मिथलेश अ0सा0 2 व ध्रुव अ0सा0 3 के हितबद्ध साक्षी होने का तर्क है तो आहत के निकट संबंधी होने के नाते यह संभावना उत्पन्न नहीं होती है कि बिना किसी आधार के वे आहत को उपहति कारित करने वाले के रूप में किसी असत्य व्यक्ति को लिप्त करें। आहत साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-

"21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR

SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).
Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”

17. जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्त्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्त्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।” इस मामले में फरियादी बंटी अ0सा0 1 की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 27.02.13 को शाम करीब 7 बजे या उसके लगभग ग्राम एण्डोरी स्थित हैण्डपंप के पास फरियादी बंटी को मारपीट कर उसका अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त संहिता की धारा 504 के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

20. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

21. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण मजदूर कृषक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

22. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत/फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर घोर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। अतः **अभियुक्त कल्लू उर्फ रणवीर** को संहिता की धारा 325 के अधीन कमशः 6 माह के सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरित कारावास भुगताया जावे।

23. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत **बंटी सिकरवार** को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 700/-रुपये (सात सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

24. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।

25. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

26. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश